



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 12 राँची, बुधवार 6 जेष्ठ, 1942 (श०)  
27 मई, 2020 (ई०)

#### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

**भाग 1**—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 82-92

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

**भाग 1-क**—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

**भाग 1-ख**—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

**भाग 1-ग**—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

**भाग 3**—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

**भाग-4**—झारखण्ड अधिनियम

**भाग-5**—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

**भाग-7**—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

**भाग-8**— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

**भाग-9**— विज्ञापन ---

**भाग-9-क**—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

**भाग-9-ख**—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

**भाग 1****नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ****गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग****अधिसूचना****11 मार्च, 2020**

**संख्या-13/पी<sub>2</sub>-104/2014- 1278** /भारतीय पुलिस सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर टाईम स्केल के वेतनमान- पे मैट्रिक्स के लेवल-11 (अपुनरीक्षित वेतनमान- रु० 15,600-39,100, ग्रेड पे-6600/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है :-

| क्र० | पदाधिकारी का नाम                        | प्रोन्नति की तिथि  |
|------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1    | सुश्री कुसुम पुनिया, भा०पु०से० (2010)   | दिनांक- 27.02.2017 |
| 2    | श्री एहतेशाम वकारिब, भा०पु०से० (2015)   | दिनांक-01.01.2019  |
| 3    | श्री सुभाष चन्द्र जाट, भा०पु०से० (2015) | दिनांक-01.01.2019  |
| 4    | श्री सौरभ, भा०पु०से० (2016)             | दिनांक-01.01.2020  |
| 5    | श्री अमित रेणु, भा०पु०से० (2016)        | दिनांक-01.01.2020  |

2. उक्त प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**शैलेश कुमार सिन्हा**

सरकार के अवर सचिव ।

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

### अधिसूचना

12 मई, 2020

संख्या-13/आई०पी०एस०-134/2019-1715--श्री पी०आर०के० नायडू, भा०पु०से०, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं पुलिस महानिदेशक (मु०), झारखण्ड, राँची को अखिल भारतीय सेवाएँ (छुट्टी) नियमावली, 1955 के नियम-10, 11, एवं 20 के तहत दिनांक- 08.05.2020 से 10.05.2020 तक कुल-03 (तीन) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. उक्त अवधि के लिए श्री नायडू, भा०पु०से० को कोटि वेतन देय होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा  
सरकार के अवर सचिव ।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

### अधिसूचना

17 अप्रैल, 2020

संख्या-13/पी०-8003/2013- 1522 /सी०, श्री चन्दन कुमार झा, भा०पु०से० (2011), माननीय राज्यपाल के परिसहाय (पुलिस), झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा  
सरकार के अवर सचिव ।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

### अधिसूचना

30 मार्च, 2020

संख्या-13/पी<sub>2</sub>-104-2019-1511/सी०, श्री अनुप बिरथरे, भा०पु०से० (2007), वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को भारतीय पुलिस सेवा के सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान-Level-13 of Pay Matrix (अपुनरीक्षित वेतनमान- रू० 37,400-67,000 ग्रेड पे- 8700) में दिनांक-01.01.2020 के प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

II. प्रोन्नति के फलस्वरूप पदाधिकारी का वर्तमान पदस्थापन प्रभावित नहीं होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

### अधिसूचना

18 मार्च, 2020

संख्या-13/पी<sub>1</sub>-8001/2010-1410 /सी०, समादेष्टा, झा०स०पु०-04, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्रीमती सुजाता कुमारी वीणापानी, भा०पु०से० (2014) (अतिरिक्त प्रभार- समादेष्टा, राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल, बोकारो) अगले आदेश तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत (एक माह से अनधिक) अपने कार्यों के साथ पुलिस अधीक्षक, बोकारो के प्रभार में रहेंगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

अधिसूचना

13 मई, 2020

संख्या-12/डी०-1001/20197- 1719 /श्री ईमानुएल बास्की, उप-समादेष्टा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सम्प्रति अपर पुलिस अधीक्षक (अभियान), दुमका की सेवा अपने पैतृक संगठन में योगदान देने हेतु वापस की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

शैलेश कुमार सिन्हा

सरकार के अवर सचिव ।

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----

अधिसूचना

17 फरवरी, 2020

संख्या-14/ए.-05/2019- 862 /श्री सुनील कुमार, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), बोकारो सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही और निष्ठा का अभाव प्रदर्शित करने संबंधी आरोप के लिए संकल्प संख्या-5434, दिनांक-28.11.2016 एवं इसी क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-7334, दिनांक-20.12.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया ।

दिनांक-15.04.2016 को बोकारो जिलान्तर्गत माराफारी थाना के सिवनडीह में रामनवमी के दौरान साम्प्रदायिक घटना घटित हुई, जिसे रोकने हेतु समुचित कार्रवाई नहीं की गयी, जिसके फलस्वरूप हिंसा, आगजनी एवं लूटपाट की घटना हुई ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप को पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं पाया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के मंतव्य के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त श्री सुनील कुमार, रा.पु.से. के विरुद्ध गठित आरोप को समाप्त करते हुए विभागीय कार्यवाही का एतद् द्वारा निस्तार किया जाता है।

उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पूनम प्रभा पूर्ति**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना  
12 फरवरी, 2020

**संख्या-14/न्याय-05/2019-775** /श्री बबन सिंह, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक, रेल, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-896, दिनांक-02.03.2006 एवं इसी क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-978, दिनांक-03.03.2009 के माध्यम से संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिसूचना संख्या-5309, दिनांक-27.08.2010 के द्वारा 'निंदन' अधिरोपित किया गया।

उक्त निर्धारित दण्ड के विरुद्ध श्री सिंह द्वारा समर्पित अपील आवेदन के परिप्रेक्ष्य में अधिसूचना संख्या-1824, दिनांक-27.04.2011 के माध्यम से 'निंदन' की सजा को चेतावनी में परिवर्तित किया गया।

उक्त संदर्भ में श्री बबन सिंह द्वारा दायर WP (S) No.-943/2012 बबन सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य मामले में पारित न्यायादेश के आलोक में उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक-27.08.2010 एवं दिनांक-27.04.2011 को रद्द किया जाता है।

उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**पूनम प्रभा पूर्ति**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

**DEPARTMENT OF HOME, PRISON & DISASTER MANAGEMENT**

-----

**NOTIFICATION****07 February, 2020.**

**No.-05/CCA/24/09/2011- 585** / In exercise of the powers conferred by section 9 of the **National Security Act, 1980**, section 18 of the **Jharkhand Control of Crimes Act, 2020**, section 08 of the **Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling (COFEPOSA) Act, 1974** & section 09 of the **Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance (PITNDPS) Act 1988** the State Government has been pleased to constitute the Advisory Board as follows

|    |                                                                                |   |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|----------|
| 1. | Hon'ble Mr. Justice Amitav Kumar Gupta,<br>Judge, Jharkhand High Court, Ranchi | - | Chairman |
| 2  | Sri Ambuj Nath,<br>Registrar General, Jharkhand High Court,<br>Ranchi.         | - | Member   |
| 3  | Sri Navneet Kumar,<br>Judicial Commissioner, Ranchi.                           | - | Member   |

The constitution will come into effect from the issue of this notification.

By order of Governor of Jharkhand,

**Satish Kumar**

Joint Secretary of Government.

-----

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----  
अधिसूचना  
25 मार्च, 2020

संख्या-07/हो०गा०(स्था०)-04/2020 (अंश)- 1392 /श्री राम अवध सिंह, जिला समादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, देवघर के अवकाश अवधि में इस पद के प्रभार में श्री मंगल सिंह जामुदा, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय), देवघर रहेंगे ।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिलसन लकड़ा  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

## गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

-----  
अधिसूचना  
13 मार्च, 2020

संख्या-10/श.अनु.-527/2017- 1326 /राज्य सरकार द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित शस्त्र नियमावली-2016 में उल्लेखित Schedule-II, जिसमें विभिन्न प्रपत्र/प्रयोजन/शस्त्र की श्रेणी हेतु अनुज्ञापन पदाधिकारी परिभाषित है, में Item Nos-7(a), 7(b) के लिये राज्य सरकार अनुज्ञापन पदाधिकारी घोषित है। तदनुसार संगत शस्त्र नियमावली के तहत प्रपत्र VIII एवं VIII-A में अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर विहित प्रपत्र में अनुज्ञप्ति निर्गत करने के निमित्त श्री इग्नातियुस कुल्लू, उप सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय अधिसूचना संख्या-3627, दिनांक-11.07.2019 द्वारा Licensing (signing) Authority नामित किया गया था ।

2. इस दरम्यान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का अधिसूचना संख्या-1592, दिनांक-28.02.2020 द्वारा श्री कुल्लू को (प्रोन्नत पद) संयुक्त सचिव के पद पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में पदस्थापित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में, श्री धनेश कुमार, अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को Licensing (signing) Authority नामित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अनिल कुमार सिंह**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----  
**गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग**  
-----

**अधिसूचना**  
**6 मार्च, 2020**

**संख्या-14/ए.-1022/2013- 1236** /श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) प्रथम, दुमका सम्प्रति पुलिस उपाधीक्षक, सेवानिवृत्त के विरुद्ध कर्तव्य के प्रति लापरवाही, उदासीनता एवं आदेशोल्लंघन करने संबंधी आरोपों के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 (b) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-1774, दिनांक-28.03.2017 एवं इसी क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-6858, दिनांक-05.12.2017 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन संबंधित अभिलेखों की समीक्षा एवं झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से सहमति प्राप्त उपरान्त श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक (से.नि.) के विरुद्ध उनके पेंशन से 02% राशि की कटौती एक (01) वर्ष तक किये जाने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही का निस्तार किया जाता है ।

उपर्युक्त आदेश में सक्षम प्राधिकार मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अविनाश चन्द्र ठाकुर**  
सरकार के अवर सचिव ।

-----

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
अधिसूचना

12 मई, 2020

संख्या-4/नि0 स0-12-206/2014-5366 (HRMS)--झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री बिनय कुमार (द्वितीय 'सीमित' बैच, गृह जिला- गढ़वा) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

| Sl. No. | Employee Name<br>G.P.F. No.     | Current Department   | <u>Current Office</u><br><br>Current Designation                                     | Joining Date in Service | Date of Service Confirmation |
|---------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1       | 2                               | 3                    | 4                                                                                    | 5                       | 6                            |
| 1       | BINAY KUMAR-<br>( JHK/JAS/232 ) | DC OFFICE<br>KODERMA | <u>CHANDWARA</u><br><u>BLOCK</u><br><u>,KODERMA</u><br><br>Block Development Officer | 21/08/2013              | 21/08/2016                   |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या: DNB/POL/169

-----

## कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

## अधिसूचना

5 मई, 2020

संख्या-4/नि0 स0-12-16/2018-5314 (HRMS)-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी श्री राकेश कुमार तिवारी (पंचम बैच, गृह जिला- भभुआ, कैमुर, बिहार) की सेवा उनके नाम के सामने स्तम्भ 6 में अंकित तिथि से निम्नरूपेण सम्पुष्ट की जाती है:-

| Sl. No. | Employee Name<br>G.P.F. No.                | Current Department   | <u>Current Office</u><br>Current Designation                           | Joining Date in Service | Date of Service Confirmation |
|---------|--------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1       | 2                                          | 3                    | 4                                                                      | 5                       | 6                            |
| 1       | RAKESH KUMAR<br>TIWARY-(<br>110067710585 ) | DC OFFICE<br>PALAMAU | <u>CHHATARPUR</u><br><u>CIRCLE</u><br><u>,PALAMU</u><br>Circle Officer | 15/06/2016              | 27/06/2019                   |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनिल कुमार सिंह

सरकार के उप सचिव

जीपीएफ संख्या:DNB/POL/169